

2.2 AGE

The maximum age limit is 25 years as on 01.01.2022 *i.e.* the candidates born before 01.01.1997 are not eligible. **The date of birth as mentioned in the Secondary Examination Marks Sheet/ Certificate will be considered as authentic.**

2.3 DOMICILE CRITERIA/RESIDENTIAL REQUIREMENT

The JET is open to the candidates of Rajasthan domicile only except 50 per cent seats of private universities OR a candidate must fulfill the following conditions for admission:-

The candidate must have studied for the last three years in the qualifying examination continuously as a regular student in Recognized Institution in Rajasthan *i.e.* passed 10th and 10+2 (in the qualifying subjects) from schools located in Rajasthan.

OR Natural Father/Mother of the candidate has been continuously residing in Rajasthan for a period of last 10 years and the candidate has studied for at least 5 years during this period in the Recognized Educational Institution in Rajasthan.

OR The candidate must be a bonafide resident of Rajasthan. He/She may be presently studying in any of the states other than Rajasthan.

OR The candidate is a son/daughter of a serving or retired employee of :-

(a) Government of Rajasthan and Officer of All India Services in the State Cadre of Rajasthan or
(b) Undertaking/ Corporation/ Improvement Trust/ Municipal Bodies duly constituted by the Government of Rajasthan by an act of Law or
(c) any of the State Universities in Rajasthan or Board of Secondary Education, Rajasthan provided that the employee has worked in Rajasthan for three years preceding the last date of submission of the application.

OR Candidate is a son/daughter of a permanent serving or retired employee of Indian Defense Service (Army/Navy/Air force) either of Rajasthan origin irrespective of his/her place of posting or is posted in Rajasthan at the time of last date of the submission of application for admission. Provided that in case the defence personnel of Rajasthan origin, a Certificate has to be submitted by him/her from the employer to the effect that his/her State of origin is Rajasthan at the time of entry in to the service.

OR Candidate is a son/daughter of serving/ retired employee of Para-Military Forces of India and the employee is either of Rajasthan origin irrespective

2.2 उम

अधिकतम आयु 01.01.2022 को 25 वर्ष होनी चाहिए अर्थात जिन अभ्यर्थियों का जन्म 01.01.1997 से पहले हुआ है वे परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। **माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका/प्रमाण पत्र में वर्णित जन्म तिथि ही मान्य होगी।**

2.3 मूलनिवास मानदंड/आवासीय आवश्यकता

निजी विश्वविद्यालयों की 50 प्रतिशत सीटों को छोड़कर संयुक्त प्रवेश परीक्षा केवल राजस्थान के मूलनिवासी उम्मीदवारों के लिए खुली है या वह उम्मीदवार जो प्रवेश के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:-

राजस्थान में मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित छात्र के रूप में लगातार आर्हता परीक्षा में अभ्यर्थी ने पिछले तीन साल से पढ़ाई की हो, यानी राजस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा (आर्हता विषयों में) उत्तीर्ण की हो।

या अभ्यर्थी के माता-पिता पिछले 10 वर्षों की अवधि से लगातार राजस्थान में रह रहे हैं और इस अवधि में अभ्यर्थी ने राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में कम से कम 5 साल तक पढ़ाई की हो।

या अभ्यर्थी का राजस्थान का मूलनिवासी होना जरूरी है। चाहे उसने राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य में पढ़ाई की हो।

या उम्मीदवार निम्न प्रकार के संस्थानों में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है:-

(क) राजस्थान राज्य संवर्ग में पदस्थापित राजस्थान सरकार और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, या
(ख) उपक्रम/निगम/विकास प्राधिकरण की संस्थाएं जो कि राजस्थान सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित की गई हैं, **या**

(ग) राजस्थान के किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के कर्मचारी जिन्होंने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से तीन साल पहले तक राजस्थान में काम किया हो।

या उम्मीदवार भारतीय रक्षा सेवा (थल/जल/वायु सेना) के स्थायी सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है और कर्मचारी राजस्थान मूल का है, चाहे उसकी तैनाती किसी भी जगह हो या प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के समय राजस्थान में तैनात हो। रक्षा कर्मी राजस्थान मूल से हो, तो नियोक्ता से उसके द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी सेवा में प्रवेश के समय राजस्थान का मूल निवासी है।

या उम्मीदवार भारत के अर्धसैनिक बलों के स्थायी (सेवारत/सेवानिवृत्त) कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है और कर्मचारी राजस्थान मूल का है, चाहे उसकी तैनाती

of his/her place of posting or is posted in Rajasthan at the time of last date of the submission of application for admission provided that in case of Para-Military Personnel from the Rajasthan origin, a certificate has to be submitted by him/her from the employer to the effect that his/her State of origin is Rajasthan at the time of entry into service.

OR Candidate is a son/daughter of a Judge of the Rajasthan High Court, subject to that he/she submit an undertaking/affidavit stating that such benefit is not claimed or availed by them in any other State.

Note: The relevant original documents/certificates which are the basis of eligibility of the candidate are to be furnished by the candidate at the time of registration in the college along with one self-attested set of above documents and three photographs.

In case of serving personnel, where in-service conditions have resulted into eligibility, a certificate of the employer will have to be submitted by the candidate, with appropriate authentication, identification and verification.

As per the Government of Rajasthan Order No. प.3(2)/शिक्षा-4/2017 जयपुर दिनांक 12.06.2019, All seats of constituent/ affiliated colleges from State Agriculture Universities of Rajasthan and 50% seats of Private Universities in Rajasthan will be filled from the candidate who fulfils the Rajasthan state domicile requirements. However, remaining 50% seats of Private Universities will be open for all candidates participating in JET 2022.

For Private Universities, in case of non-availability of candidates from Rajasthan, candidates available from other states will be considered for admission on vacant seats at the time of final round of counselling.

The certificate of bonafide resident of Rajasthan or other states of India must be duly signed by the District Magistrate of the concerned District or officer authorized by him, and must bear the authenticated photograph of the candidate.

3.0 RESERVATION OF SEATS

The reservation of seats for various categories will be as per the rules of Government of Rajasthan and subsequently adopted by SAUs.

The caste certificate must bear the photograph of candidate and must be issued by the competent authority.

In case of OBC/MBC the certificate should not

की जगह अन्य हो या प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि के समय राजस्थान में तैनात हो, बशर्ते कि राजस्थान मूल के अर्धसैनिक कर्मियों के मामले में नियोक्ता से उसके द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी सेवा में प्रवेश के समय राजस्थान का मूल निवासी है।

या उम्मीदवार राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पुत्र/पुत्री है, जिसके अधीन वह एक वचन/शपथ पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें कहा गया है कि इस प्रकार के लाभ का दावा किसी अन्य राज्य में उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

नोट: संबंधित मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र जो उम्मीदवार की पात्रता का आधार हैं, उन्हें कॉलेज में पंजीकरण के समय उम्मीदवार द्वारा जमा करवाना होगा साथ ही उपरोक्त दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों और तीन फोटो के साथ उपस्थित होना होगा।

सेवारत कर्मियों के मामले में, जहां सेवा शर्तों के परिणामस्वरूप पात्रता हुई है, नियोक्ता का प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा उचित प्रमाणीकरण, पहचान और सत्यापन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) के आदेश क्रमांक प.3(2)/शिक्षा-4/2017 जयपुर दिनांक 12.06.2019 की अनुपालना में राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के सभी संघटक, संबद्धता रखने वाले एवं राजस्थान के निजी विश्वविद्यालयों की 50 प्रतिशत सीटें राजस्थान के मूलनिवासी अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी एवं निजी विश्वविद्यालयों की शेष 50 प्रतिशत सीटें संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2022 में उपस्थित होने वाले किसी भी अभ्यर्थियों से भरी जायेगी।

राजस्थान के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में खाली रही निजी विश्वविद्यालयों की सीटों को अन्तिम काउंसलिंग में अन्य राज्यों के उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

राजस्थान या भारत के अन्य राज्यों के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होना चाहिए व प्रमाण पत्र पर उम्मीदवार का फोटो लगा होना चाहिए।

3.0 सीटों का आरक्षण

विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटों का आरक्षण राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार होगा जो कि राज्य के सभी कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा अपनाया गया है। जाति प्रमाण पत्र में उम्मीदवार की फोटोग्राफ होनी चाहिए और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए।

आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश के समय पर